न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

मोतीलाल सिघांनिया, **जी–37, रिक्को 4Th फेज, पुर रोड़, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 12/**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27–03–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 30–**01–2025** में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला भीलवाड़ा** रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 07–03–2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला भीलवाड़ा** ने अवगत कराया कि उनके द्वारा जरिये पत्रांक 283 दिनांक 26–03–2025 से अपीलार्थी को अपेक्षीत सूचनायें उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी वक्त सूचनाई अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिंह संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	